भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-20
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

पीएम-श्री योजना के तहत स्कूलों का उन्नयन

20. **डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:**
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत अब तक कितने विद्यालयों का उन्नयन किया गया है और ऐसे विद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ख) महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश में कितने विद्यालयों का अभी उन्नयन किया जाना है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों के चयन हेतु अपनाए गए मानदंडों और पारदर्शी पद्धति का ब्यौरा क्या है;
(घ) महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत निधि आवंटन प्रक्रिया क्या है; और
(ड.) चयनित विद्यालयों में आवंटित निधि का वितरण किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): पीएम श्री योजना के अंतर्गत पारदर्शी चुनौती पद्धति के माध्यम से केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी के साथ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 13,076 स्कूलों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएम श्री स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

विवरण पीएम श्री योजना की वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://pmshri.education.gov.in/state

(ख) और (ग): पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूल, आदर्श स्कूल बनने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। चयन निश्चित समय सीमा के साथ त्रिचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो इस प्रकार है:

चरण-1: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों को सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जाती हैं।

चरण-2: इस चरण में, पीएम श्री स्कूल के रूप में चयन हेतु पात्र स्कूलों के एक समूह की पहचान यूडाइज+ डेटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम मानकों के आधार पर की जाती है।

ये मानक नवीनतम डाटा के आधार पर यूडाइज़+ पोर्टल से स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। स्कूल द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मानक इस प्रकार हैं:

i. स्कूल के पास अच्छी स्थिति में अपना पक्का भवन होना चाहिए।
ii. बाधा रहित प्रवेश-रैम्प।
iii. स्कूल सुरक्षित होना चाहिए।
iv. इस श्रेणी के लिए प्रारंभिक (कक्षा 1-5/1-8) स्तर और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 6-12/6-10/1-10/1-12) स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन राज्य के औसत नामांकन से अधिक होना चाहिए।
v. स्कूल में बालक और बालिकाओं हेतु कम से कम एक अलग शौचालय होना चाहिए।
vi. स्कूल में पेयजल की सुविधा होनी चाहिए।
vii. स्कूल में अलग से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
viii. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षकों के पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।
ix. बिजली की आपूर्ति कार्यात्मक स्थिति में होनी चाहिए।
x. स्कूल में पुस्तकालय/पुस्तकालय कॉर्नर की सुविधाएं और खेल उपकरण होने चाहिए।

चरण-3: यह चरण कतिपय मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित है। पीएम श्री स्कूल के रूप में चुने जाने के लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। शर्तों

को पूरा करने की प्रामाणिकता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से प्रदान की जानी है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला स्तर पर सत्यापन के बाद स्कूलों की सूची स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय को भेजने की करनी होती है तथा चुनौती पद्धति के माध्यम से स्कूल चयन को अंतिम रूप देने के लिए डीओएसईएंडएल में सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

पीएम श्री योजना के अंतर्गत, पारदर्शी चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से महाराष्ट्र से कुल 860 स्कूल, मध्य प्रदेश से 799 स्कूल और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली से 7 स्कूलों का चयन किया गया है।

(घ) और (ङ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूल स्तर पर आईसीटी लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, उपकरण, डिजिटल पुस्तकालय, क्लासरूम डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, एलईडी लाइटिंग, कंपोस्टिंग सुविधाएं आदि जैसी अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान करके प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत घटक-वार प्रस्ताव का मूल्यांकन और संस्वीकृति वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा दी जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों जैसे कि एसएनए खाते में संपूर्ण केंद्रीय अंश जारी करने, राज्य के संबंधित अंश को एसएनए खाते में अंतरित करने, उपलब्ध निधियों के 75% से अधिक व्यय करने, अर्जित ब्याज को सीएफआई में जमा करने, राज्य बजट में केंद्रीय अंश और राज्य के अंश का प्रावधान करने, जारी की गई राशि के 75% तक के लिए अनंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने तथा जारी की गई राशि के शेष 25% के लिए संपरीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाती है।

*****